Most urgent

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3 मनरेगा)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/12–13 जयपुर, दिनांक : 12 MAR 2014
12.03.2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत समयबद्व भुगतान के संबन्ध में।**

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार योजनान्तर्गत **नियोजित श्रमिकों को कार्य समाप्ति के 15 दिवस में भुगतान किया जाना अनिवार्य** है। नियत समय में भुगतान नही किये जाने पर मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है।

योजना की अधिकृत वैबसाइट पर **Alerts** के तहत 2 रिपोर्ट (i) No. of Muster Roll not included in wage list (ii) E-Muster Roll and wage list Report उपलब्ध है, जिसमें **नियत समय में मस्टररोल की एन्ट्री नरेगा सॉफ्ट पर नहीं** किये जाने तथा **एन्ट्री किये जा चुके मस्टररोल की वेजलिस्ट जैनरेट नही** किये जाने के संबन्ध में सूचना उपलब्ध है। इस Alert के प्रतिदिन विश्लेषण से योजनान्तर्गत हो रहे **विलम्ब से भुगतान पर अंकुश** लगाया जा सकता है।

दिनांक 12.03.2014 की रिपोर्ट के अनुसार (संलग्न परिशिष्ठ–1) राज्य में **53273 मस्टररोल** ऐसी है जिनकी **एन्ट्री एम.आई.एस. में कर दिये जाने के बावजूद वेजलिस्ट जैनरेट नही** की गयी है। इनमें से **1224 मस्टररोल की एन्ट्री नरेगा सॉफ्ट में 60 दिवस से भी अधिक समय पूर्व हो जाने के बावजूद इनकी वेजलिस्ट जैनरेट नही** की गयी है, जो कि गंभीरता का विषय है।

इसी प्रकार उपलब्ध रिपोर्ट E-Muster Roll and wage list Report में उपलब्ध सूचना के अनुरूप **अकुशल श्रमिकों के लिए उपयोग में ली गयी 137114 मस्टररोल** ऐसी है जिनका **इन्द्राज आदिनांक तक नियत समय अर्थात मस्टररोल समाप्ति के 15 दिवस पूर्ण हो जाने के पश्चात भी नरेगा सॉफ्ट में में नही** किया गया है (संलग्न परिशिष्ठ–2)। मस्टररोल का इन्द्राज नरेगा सॉफ्ट में अभी तक नही होने के कारण इनका भुगतान भी संभव नही है।

अतः इस संबन्ध में यह निर्देश जारी किये जाते है कि **जिला स्तर पर एम.आई.एस. मैनेजर प्रतिदिन पंचायत समितिवार उक्त अलर्ट की सूचना अधिशाषी अभियन्ता नरेगा, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा जिला कार्यक्रम**